



नवादा जिला में ग्रामीण अधिवासों की आकारिकीय संरचना : एक भौगोलिक अध्ययन

डॉ० कल्पना सिन्हा

एम०ए०, पीएच०डी०

बालिका उच्च विद्यालय, परबलपुर, नालन्दा

सारांश

अधिवास आकारिकी जिसका संबंध अधिवासों के विन्यास, आयोजन एवं आंतरिक संरचना से है, अधिवास अध्ययन का एक प्रमुख विषय है। नवादा जिला का उत्तरी भाग समतल उपजाऊ मैदानी तथा दक्षिणी भाग उबड़-खाबड़ पठारी और पहाड़ी है। अधिवास भूगोल में ग्राम आकारिकी के अन्तर्गत ग्राम की आन्तरिक विशेषताओं और उनके बाह्य स्वरूपों को समाहित किया जाता है। गाँव की वर्तमान आकारिकी एक लम्बी अवधि में होनेवाली विभिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक घटनाओं का परिणाम है। ग्राम्य आकारिकी के दो स्वरूप होते हैं— ग्रामों का कार्यात्मक आकारिकी एवं ग्रामों की भौतिक आकारिकी। ग्रामों की भौतिक आकारिकी उनके विन्यास (Layout) और प्रतिरूपों (Pattern) पर आधारित होती है। प्रतिरूप से अभिप्राय बाह्य ज्यामितीय आकृति से है जो किसी अधिवास के बसाव द्वारा निर्मित होती है। यह किसी क्षेत्र के अधिवास के द्विआयामी, ज्यामितीय विन्यास से संबंधित है जिसपर भौतिक एवं सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। अध्ययन क्षेत्र में मुख्यतः ग्रामों का प्रतिरूप रेखीय, चौक-पट्टी, अरीय या त्रिज्या, आयताकार, वृताकार, तीर, पंखा प्रतिरूप आदि प्रमुख है।

शब्द कुंजी :- आंतरिक संरचना, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रतिरूप, विन्यास।

परिचय :- अधिवास भूगोल केवल अधिवासों का भूगोल है जिसका मुख्य उद्देश्य अधिवासों के समग्र गुणों (traits), प्रकारों आदि का अध्ययन करना है। “Settlement geography deals with the facilities (houses and highways) built in the process of human occupance of the land and their groupings” शर्मा के अनुसार अधिवास भूगोल का उद्देश्य मानव अधिवासों के आकार, आकृति, प्रकार्य एवं प्रादेशिक संबंधों का अध्ययन करना एवं उनके विकास तथा वितरण प्रतिरूप का खोज करना है। (“Settlement geography aims to study the size, form, functions and regional associations of human settlements, and traces their growth and pattern of distribution”) ‘आकारिकी’ को ‘आकृति के

विज्ञान' (Science of form) के रूप में जाना जाता है। परन्तु इसका प्रयोग 'आकृति' (form) के रूप में किया जाता है। अधिवास आकारिकी जिसका संबंध अधिवासों के विन्यास (layout) , आयोजन (Plan) एवं आंतरिक संरचना से है, अधिवास अध्ययन का एक प्रमुख विषय है।

नवादा जिला :- यह एक नया जिला है जो पुराने गया (1973 के पूर्व) के एक अनुमण्डल का उत्क्रमित अंग है। यह एक जिला के रूप में 26 जनवरी 1973 को आया। जिला का विस्तार 24°31'45" से 25°6'45" उत्तरी अक्षांशों एवं 84°17'20" से 85°3'2" पूर्वी देशान्तरों के बीच है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी कुल जनसंख्या 22,16,653 व्यक्ति थी। यहाँ शहरों की संख्या 03 है। नवादा (म्यू: 98,029:2011) सबसे बड़ा शहर तथा जिला मुख्यालय है। जिला का उत्तरी भाग उपजाऊ मैदानी तथा दक्षिणी भाग छोटानागपुर के पठारी भाग की निकटता के कारण उबड़-खाबड़ पठारी तथा पहाड़ी है। धराकृति का प्रभाव अधिवासों तथा उनके 'आकारिकी' पर स्पष्ट: देखने को मिलता है।

विश्लेषण :

भूगोल सहित अन्य सामाजिक विज्ञानों में आकारिकी शब्द का प्रयोग प्रायः स्वरूप (shape) के समानार्थी के रूप में किया जाता है। आकारिकी रूप व संरचना का विज्ञान है तथा उस विकास से संबंधित है, जो उसके रूप पर प्रभाव डालता है। इसीलिए अधिवास भूगोल में ग्राम्य आकारिकी के अन्तर्गत ग्राम की आन्तरिक विशेषताओं और उनके बाह्य स्वरूपों को समाहित किया जाता है।

आर०सी० शर्मा के अनुसार "वास्तविक रूप में गाँव के भीतर पाये जाने वाले भिन्न-भिन्न स्वरूप और संरचनात्मक प्रतिरूप उसकी आकारिकी का परिचय देते हैं।

आकारिकी ग्रामों के बाह्य स्वरूप का प्रदर्शन करने के साथ-साथ उसकी उत्पत्ति, आकार, कार्य, खेतों के प्रकार के बारे में बताती है। वह इन संरचनाओं पर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक कारकों के प्रभाव का आकलन करती है। यह आकारिकीय संरचना प्राकृतिक, आर्थिक अथवा सांस्कृतिक तत्वों का सम्मिलित परिणाम है। यह गाँव के सतत् विकास, सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्थाओं का द्योतक है। इस प्रकार आकारिकी का संबंध आर्थिक क्रियाओं की गहनता व विशालता, जनसंख्या के विस्तार और सांस्कृतिक भूदृश्य से है।





ग्रामीण आकारिकी के विास का प्रक्रम : गाँव की वर्तमान आकारिकी एक लम्बी अवधि में होनेवाली विभिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक घटनाओं का परिणाम है। एक गाँव अपने आकार में वृद्धि के साथ-साथ आकारिकी का विकास तीन अवस्थाओं के अनुसार करता है—

- (i) **जीवपिण्डोत्पत्ति (Histogenesis)**: इस अवस्था में भ्रूण कोष का विकास होता है तथा उसे शारीरिक रूप प्राप्त होता है। ग्रामीण विकास में यह अवस्था उसके आरम्भिक विकास का सूचक होता है। इससे उसके एतिहासिक पृष्ठभूमि संबंधी संकेत मिलता है। इसमें बस्ती को प्राथमिक स्वरूप प्रदान करनेवाले लोगों के आवासों का जमघट लगना शुरू होता है। ये लोग प्रायः भूस्वामी होते हैं।
- (ii) **प्रतिरूपोत्पत्ति (Patternogenesis)**: इस अवस्था में गाँव विशेष में मकानों का विस्तार होने लगता है। गाँव में सड़क व गलियाँ बनने लगती है और उनके किनारे-किनारे मकान बनने लगते हैं। यहाँ भूस्वामियों के गृहों के साथ-साथ उनके सेवायें प्रदान करने वाले लोगों के गृह के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।
- (iii) **स्वरूपोत्पत्ति (Morphogenesis)**: इस अवस्था में प्रत्येक गाँव की आकारिकी निश्चित रूप ग्रहण कर लेती है। बस्ती से बाहर की ओर ऐसे गृहों का निर्माण होने लगता है जो बस्ती के लिए आवश्यक सेवायें प्रदान करने वाले व्यक्तियों द्वारा बसाये हुए होते हैं। यह गाँव की मुख्य बस्ती से अलग हटकर भी अपना बसाव स्थापित कर लेते हैं।

ग्रामीण आकारिकी पर प्रभाव डालने वाले कारक :

ग्रामीण बतिस्तयाँ प्राथमिक कार्य-कलापों के आधार पर उदित व विकसित होती है। इसीलिए ग्रामीण अधिकारिकी भौतिक एवं मानवीय अथवा सांस्कृतिक कारकों का परिणाम होती है।

भौतिक दशाओं के अन्तर्गत बसाव स्थान की विशेषता व बसाव स्थिति, भूमि की ढाल व दिशा, पीने व कृषि कार्य हेतु जल की उपलब्धता, जलवयु दशा, भूमिगत जल, नदियों के प्रवाह मार्ग व बाढ़ से सुरक्षित स्थल, भूमि की उत्पादकता आदि कारकों को शामिल किया जाता है। धरातल समतल और समान होने पर बस्ती का स्थापन व फैलाव किसी भी दिशा और भू-भाग में हो सकता है।

ग्रामीण बस्तियों की आकारिकी सांस्कृतिक कारकों के द्वारा अत्यधिक प्रभावित और निर्धारित होती है। बस्ती की पहुँच के स्तर, परिवहन व्यवस्था बस्ती की केन्द्रीय स्थिति की क्षमता, बाजार स्थल, सांस्कृतिक भवन, प्राचीन, कुआँ, तालाब, कृषि की गहनता, जातीय



संरचना, सामाजिक व्यवहार, पशुपालन व चारागाहों की व्यवस्था, सुरक्षा, पंचायत गृह तथा ग्रामीण आकारिकी पर अपना यथेष्ट प्रभाव रखती है। बस्तियों रहने वाले लोगों की व्यवसायिक संरचना व उनकी आर्थिक दशा का आकारिकी पर गहन प्रभाव पड़ता है। बस्ती के लम्बवत् और क्षैतिज दोनों प्रकार के विस्तार पर संरचना निर्धारक की भूमिका का निर्वाह करता है। बस्ती के चारों ओर फैले खेतों का आकार व उनके स्वामित्व का प्रभाव भी आकारिकी पर पड़ता है।

ग्राम आकारिकी के स्वरूप :

बस्ती भूगोल में ग्राम्य आकारिकीके अन्तर्गत ग्राम की आन्तरिक विशेषताओं और उनके वाह्य स्वरूपों का सामाहित किया जाता है। ग्राम्य आकारिकी को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है।

- (i) ग्रामों की कार्यात्मक आकारिकी
 - (ii) ग्रामों की भौतिक आकारिकी
- (i) सामान्य भारतीय ग्रामों के अनुरूप नवादा जिला के ग्रामों की कार्यात्मक आकारिकी वहाँ निवास करने वाली जनसंख्या के विभिन्न क्रियाओं तथा भूमि उपयोग से संबंधित होती है। ग्रामीण अधिवासों में प्राथमिक क्रियाओं की प्रधानता पायी जाती है। नवादा जिला का अधिकांश भाग समतल मैदानी क्षेत्र है। केवल दक्षिण-पश्चिम व दक्षिण-पूर्वी सीमावर्ती भागों में सीमित स्केल पर पहाड़ियों एवं उच्च भूमि का विस्तार मिलता है। अबएव, कार्यात्मक आकारिकी में अन्तर पाया जाता है। जिला के अधिकांश भागों में कृषि योग्य समतल भूमि के विस्तार होने के कारण सघन ग्राम की आकारिकी निम्नलिखित संकेन्द्रित पेटियों के रूप में पायी जाती है—
- (ii) **कृषि क्षेत्र के मध्य सामान्यतः** ऊँची भूमि पर ग्राम बसा होता है। इस बसाव क्षेत्र में ग्राम वासियों के बीच श्रम विभाजन के रूप में कार्यात्मक आकारिकी का विकास होता है। भारतीय ग्रामों में श्रम विभाजन मुख्यतः जातीय आधार पर पाया जाता है। अतः सघन ग्राम में कार्यात्मक आकारिकी का स्वरूप सामाजिक आकारिकी के लगभग अनुकूल पाया जाता है। आधुनिक विकास व नगरीकरण के प्रभाव से परम्परागत जातीय श्रम विभाजन में कुछ परिवर्तन अवश्य देखने को मिलता है, परन्तु अभी अभी भी व्यवसायों तथा कार्यों पर जातीय प्रभाव दिखायी पड़ते हैं। एक ग्राम के विभिन्न खण्डों में पृथक-पृथक व्यवसायों वाले परिवार निवास करते हैं और अधिकांशतः अभी भी अपने पैतृक व्यवसाय को संचालित करते हैं। नवादा जिला के ग्रामों में बड़े भूस्वामियों और कृषक परिवारों के अतिरिक्त अन्य जातियों यथा लोहार, बढई, नाई,



धोबी, कुम्हार, दर्जी, जुलाहा आदि के अलग-अलग खण्ड अथवा टोले होते हैं जो एक ही सघन ग्राम के अन्तर्गत होते हैं या अपखण्डित ग्राम के रूप में मिलते हैं।


- (2) ग्राम के अधिवास क्षेत्र अथवा बसाव क्षेत्री की परिधि पर खलिहान, खेल के मैदान, छोटे बाग-बगीचे आदि पाये जाते हैं जो ग्राम के सभी ओर या किसी निश्चित भाग में ही हो सकते हैं।
- (3) तीसरी पेटी में ग्राम के बसाव क्षेत्र के समीप की कृषि भूमि आती है जिसका उपयोग प्रायः कृषि के लिए किया जाता है। इस कृषि भूमि पर सिंचाई की स्थायी व्यवस्था सामान्यतः होती है। यही कारण है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की सब्जियों, मशालों, मौसमी फलों आदि की खेती पर विशेष बल दिया जाता है। इस पेटी में कृषि की सघनता सर्वाधिक रहती है और कुछ कृष्य भूमि का उपयोग गरमा फसलों के लिए भी होता है।
- (4) तीसरी पेटी के बाहर प्रायः विस्तृत कृषि भूमि पायी जाती है जिसपर भूमि की उर्वरा शक्ति, सिंचाई के साधन, आर्थिक व तकनीकी विकास आदि के अनुसार द्विफसली अथवा त्रिफसली कृषि की जाती है। इसे मध्यवर्ती कृषि पेटी भी कहा जाता है क्योंकि यह एक ओर बसाव क्षेत्र के निकटवर्ती पेटी के निकट होती है और दूसरी ओर ग्राम की सीमावर्ती पेटी के बीच में स्थित होती है।
- (5) ग्राम की वाह्य सीमा से लगी हुई कृषि पेटी सबसे बाहरी कृषि पेटी होती है जिसपर अधिक दूरी और देखभाल की कमी के कारण प्रायः एक कृषि वर्ष में एक अथवा दो फसलें प्राप्त होती है और उत्पादन भी अपेक्षाकृत कम होता है। इस कृषि पेटी में ग्राम के बड़े बाग-बगीचे आदि भी पाये जाते हैं।

नवादा जिला में दक्षिणी-पश्चिमी व दक्षिणी-पूर्वी सीमावर्ती भागों में धरातल असमान है। समूचा भू-भाग पहाड़ों, पहाड़ियों एवं अन्य उच्च भागों से भरा पड़ा है। इस पहाड़ी क्षेत्र के अधिकांश भाग पर वनों का विस्तार है, मिट्टी कम उपजाऊ है और भूक्षरण की विकट समस्या भी है। ऐसी अवस्था में इन भागों में व्यापक स्तर पर कृषि कार्य सम्भव नहीं है। कृषि सहित अन्य प्राथमिक कार्य यथा पशुओं का शिकार, मत्स्य पालन, वनों में उपलब्ध उपयोग अवयवों का संग्रहण, लकड़ी काटना, खनन आदि कार्य सीमित स्तर पर किये जाते हैं। इन भागों में बसाव क्षेत्र के पास ही कृषि की जाती है। कृषि संबंधी विस्तृत मेखलाओं का पूर्णतः अभाव होता है। इस प्रकार इन ग्रामों की सघनता कम होती है और ग्रामों की कार्यात्मक आकारिकी पूर्णतः भिन्न होती है।



- (ii) ग्रामों की भौतिक आकारिकी उनके विन्यास (layout) और प्रतिरूपों (Patterns) पर आधारित होती है। ग्रामीण प्रतिरूपों का स्वरूप मूलतः उनकी आन्तरिक संरचना या विन्यास पर आधारित होता है। अतः ग्रामीण भौतिक आकारिकी प्रायः ग्राम के विन्यास के अनुसार ही पायी जाती है। प्रतिरूप से अभिप्राय वाह्य ज्यामितीय आकृति से है जो किसी अधिवास के बसाव द्वारा निर्मित होती है। यह किसी क्षेत्र में अधिवास के द्विआयामी, ज्यामितीय विन्यास से संबंधित है जिसपर भौतिक एवं सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। गाँव के वास क्षेत्र की तुलना मुख्यतः ज्यामिति की विभिन्न आकृतियों से की जाती है।
- (1) **रेखीय प्रतिरूप (Linear Pattern)** : जब किसी ग्राम का विकास सड़क, नहर, नदी, कटक आदि के सहारे पंक्तिवद्ध रूप में होता है तो उसकी आकृति रेखीय हो जाती है। ऐसी प्रतिरूप की उत्पत्ति प्रायः किसी प्राकृतिक अवरोध यथा संकुचित घाटी, नदियों के तटबन्ध या कटक के सहारे अथवा सामाजिक-आर्थिक सुविधाओं यथा सड़क, नहर आदि के परिणामस्वरूप होती है। रेखीय बस्तियों के द्वार मार्ग की ओर होते हैं। यदि सड़क के दोनों ओर गृहों की स्थापना व विकास हो जाय तो दोनों पंक्तियों के गृहों के द्वार आमने-सामने होते हैं। इस प्रकार के ग्राम सघन अथवा अर्द्धसघन दोनों प्रकार के हो सकते हैं। नवादा जिला के मध्यवर्ती भाग से उत्तर-दक्षिण की दिशा में राष्ट्रीय उच्च मार्ग गुजरती है जो बिहार की राजधानी पटना को झारखण्ड की राजधानी राँची से जोड़ती है। नवादा जिला में दक्षिणी भाग में स्थित रजौली प्रखण्ड के क्लिष्ट उच्चावच के परिणामस्वरूप इस उच्च मार्ग को रजौली घाटी से होकर गुजरना पड़ता है जहाँ मुख्य मार्ग के सहारे प्रायः अर्द्धसघन ग्रामों का विकास रेखीय प्रतिरूप में दृष्टिगोचर होता है। रेखीय प्रतिरूप को रिबन प्रतिरूप (Ribbon Pattern), लम्बाकार प्रतिरूप (Elongated Pattern) अथवा डोरी प्रतिरूप (String Pattern), भी कहते हैं। नवादा जिला के जिला मुख्यालय, अनुमण्डल मुख्यालय, प्रखण्ड मुख्यालय एवं अन्य प्रशासकीय केंद्रों से निकलती हुई अथवा स्पर्श करते हुए सड़क मार्ग अपने गन्तव्य तक पहुँचती है। इन सड़क मार्गों के सहारे रेखीय प्रतिरूप से सघन ग्रामों का विकास एवं नवादा जिला के मैदानी भागों में मिलता है।
- (2) **चौक-पट्टी प्रतिरूप (Checker Board Pattern)** : मैदानों के दो मार्गों के मिलने के क्रॉस पर जो गाँव बसने आरम्भ होते हैं, उन गाँवों को गलियाँ मार्गों के साथ मेल खाती आयताकार प्रतिरूप में बनने लगती है जो परस्पर लम्बवत् या सामानान्तर होते हैं। ये सड़कें एक-दूसरे को समकोण पर काटती हैं। समतल मैदानी भागों में ही इस प्रकार के ग्राम देखे जा सकते हैं। इसमें सामानान्तर गलियों को अन्य समानान्तरण गलियाँ लम्बवत् काटती हैं जिससे सम्पूर्ण ग्राम का आबादी क्षेत्र आयताकार अथवा

वर्गाकार भूखण्डों में विभाजित हो ताहा है या प्रत्येक भूखण्ड के चारों ओर गलियाँ पायी जाती है जिनके किनारे गृह बने होते हैं। वारसलीगंज के सरकड़ी एवं कुम्भी इसी प्रकार के गाँव हैं। यह सभी गाँव आकार में बड़े होते हैं तथा धीर-धीरे ग्रामीण सेवा केन्द्र के रूप में विकसित हो जाते हैं और ऐसी ही कुछ बस्तियाँ समय के साथ कस्बा का स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं।



- (3) अरीय या त्रिज्या प्रतिरूप (**Redial Pattern**): भारतीय ग्रामों के समान नवादा जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रतिरूप प्रमुख रूप से पाया जाता है। इस प्रकार के गाँवों में कई ओर से मार्ग आकर मिलते हैं अथवा उस गाँव से बाहर अन्य गावों के लिए कई दिशाओं की ओर मार्ग जाते हैं। इस प्रारूप में ग्राम का मध्य भाग गाँठ के रूप में



सघन बसा हुआ होता है और उसके बाहर अरीय (त्रिज्या) मार्गों के सहारे गृह निर्मित रहते हैं। इस प्रकार की ग्रामाकृति पहिये के तीलियों के समान हो जाती है। कई बार ग्रामों के मध्य में बाजार या मीठे पानी कुएँ की स्थिति के कारण इस प्रतिरूप का विकास होता है। गाँव में जो चौराहा होता है, उससे त्रिभुजाकार मार्गों पर घर बसे होते हैं।

अरीय प्रतिरूप के गाँवों का विकास तारा प्रतिरूप (Star Pattern) में होता है क्योंकि अरीय प्रतिरूप में विकसित होकर बाद में बढ़ते-बढ़ते अधिवास बाहर की ओर जाने वाले मार्गों पर फैलते जाते हैं। ग्राम के नजदीक गृहों की संख्या अधिक और दूर जाने पर इनकी संख्या कम हो जाती है।

- (4) **आयताकार प्रतिरूप (Rectangle Pattern)** : अधिकांश ग्राम आयताकार प्रतिरूप वाले होते हैं। इनका मुख्य कारण खेतों की आकृति का प्रभाव है। ग्रामों के खेतों का प्रारूप प्रायः आयताकार होता है। यहाँ पैदल व बैलगाड़ी मार्ग भी इन खेतों के प्रारूप का अनुसरण करते हैं। ऐसे मार्ग के मोड़ कम से कम होते हैं तथा भूमि का अधिक से अधिक प्रयोग सम्भव होता है। लम्बाई और चौड़ाई बराबर होने पर ग्राम की आकृति वर्गाकार होती है, परन्तु जब किसी ओर विस्तार के द्वारा लम्बाई अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है तब इसकी आकृति आयताकार हो जाती है। इन दोनों की अवस्थाओं में गलियाँ प्रायः सीधी होती हैं। अकबरपुर प्रखण्ड में स्थित शैलाग्राम खेरा और नरहर प्रखण्ड का शेखपुरा आयताकार प्रतिरूप के ही गाँव है।
- (5) **वृताकार प्रतिरूप (Circular Pattern)** : ऐसे ग्राम का प्रतिरूप एक ही स्थान पर मकानों के अधिक बसाव के कारण बन जाता है। झील, कुओं या तत्कालिक जमींदार के मकान के चारों ओर फैलकर ऐसी बस्तियाँ बनती हैं। प्राचीन काल में ऐसी बस्तियों का उद्भव एवं विकास सुरक्षा हेतु ही हुआ जहाँ ग्रामीण जन अपने घर, मुखिया के भवन अथवा गढ़ी के चारों ओर बना लेती थी। ये बस्तियाँ दो प्रकार की हो सकती हैं—
- (i) न्याष्टिक (Nucleated) बस्ती, जहाँ बस्ती का केन्द्र सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक रूप से अत्यंत सम्पन्न व्यक्ति के भवन से जुड़ा होता है। और
- (ii) निहारकीय (Nebular) बस्ती, जहाँ बस्ती के मध्य में चौपाल, पंचायत-घर वट वृक्ष या देव पूजा स्थल होता है। आदिवासी जनजातियों के गाँव इसी प्रकार के होते हैं।
- (6) **अन्य प्रतिरूप (Other Pattern)** : उपरोक्त वर्णित मुख्य ग्रामाकृति के अतिरिक्त कई अन्य प्रतिरूप भी पाये जाते हैं जो अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण हैं और प्रायः किसी मुख्य



प्रतिरूप के पूर्व की अवस्था के प्रतिरूप होते हैं। इनमें L आकृति, T आकृति, तीर प्रतिरूप (Arrow Pattern), पंखा प्रतिरूप (Fan Pattern) आदि प्रमुख हैं।

जब दो मार्गों के संगम पर किसी अवरोध के कारण दोनों ही मार्गों के केवल एक ही ओर किनारे—किनारे गृह बनाये जाते हैं, तब ग्राम की आकृति 'L' जैसी हो जाती है। वहीं 'T' आकृति प्रतिरूप के लिए जहाँ मुख्य सड़क में किसी एक ओर से कोई अन्य मार्ग आकर मिलता है, किन्तु उसे काटता नहीं है, ऐसे ही त्रिमुहानी पर मार्ग के किनारे—किनारे बसाव होने की प्रक्रिया का योगदान है।

नदी, झील आदि के मोड़ पर बसे हुए ग्रामों की आकृति तीर की भांति हो जाती है। इसीलिए इस आकृति को तीर प्रतिरूप (Arrow Pattern) कहा जाता है। पहाड़ियों के पाद प्रदेश में निर्मित जलाढ़ पंक पर बसी हुई बस्तियों की आकृति पंखे की भांति दिखायी पड़ती है, अतएव इसे पंखा प्रतिरूप (Fan Pattern) कहा जाता है।

निष्कर्ष : अधिवास आकारिकी के दो प्रमुख घटक हैं— क्षेत्र विन्यास (Ground plan) एक वास क्षेत्र विन्यास (Ground plan) एक वास क्षेत्र (Built-up-area)। क्षेत्र विन्यास के अन्तर्गत मुख्यतः गलियों के प्रतिरूप, इमारतों के विन्यास (arrangement) तथा प्रमुख सांस्कृतिक प्रभाव— मन्दिर, दुर्ग, मुखिया का आवास, बाजार आदि सम्मिलित हैं। यह अपेक्षाकृत कम परिवर्तनशील होता है जबकि वास—क्षेत्र में समयानुसार परिवर्तन होता रहता है। अधिवास आकारिकी पर सामाजिक संरचना का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है जिनसे अधिवासों के कार्यात्मक गुण और सामाजिक पर्यावेश (Social space) नियंत्रित होते हैं। भारत में रामायण, महाभारत, जातक और पुराणों आदि में गाँवों की आकृतियों को आयताकार, वर्गाकार, वृताकार, अर्द्ध वृताकार, दृघ वृताकार आदि वर्गों में विभाजित किया गया है। परन्तु यह श्रेय जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान मीरलेन (1895) को जाता है जिसके प्रयास से अधिवास भूगोल में गाँवों की आकृति के विश्लेषण के वैज्ञानिक प्रयास की शुरुआत हुई।

संदर्भ :

1. Singh, R.L., 1961, Meaning, Objectives and Scope of Settlement Geography, National Geographical Journal of India, Vol, VII, P.12.
2. शर्मा, आर0सी0 (1969), "एन एप्रेजल ऑफ सेटलमेंट ज्योग्राफी विथ रेफरेन्स टु इण्डिया", द प्रोफेशनल ज्योग्राफी, वोल्यूम—21, नं03, पेज 158—190.



3. Johnstone, R.J.(ed), 1986, The Dictionary of Human Geography, National Publishing House, New Delhi, P.305.
4. प्रोभिजनल पोपुलेशन टोटल्स, 2011 ऑफ बिहार, पृ0 31.
5. संदर्भ 2
6. सिन्हा, कल्पना, 2010, नवादा जिले में ग्रामीण अधिवासों का उद्भव, आकारिकी एवं स्थैतिकी नियोजन: एक भौगोलिक अध्ययन, एक अप्रकाशित शोधा प्रबन्ध, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, पृ0 सं0 69–79.